भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 733

24 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

बढ़ती शहरी चुनौतियां

†733. श्री जिया उर रहमानः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सभी बड़े शहरों में खराब स्वच्छता, आवास की कमी, अनियोजित निर्माण और बार-बार आने वाली शहरी बाढ़ जैसी बढ़ती शहरी चुनौतियों से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो जल निकासी व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास सहित शहरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत विलंब, कार्यान्वयन में देरी अथवा गुणवत्ता में गिरावट रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो कार्यान्वयन में सुधार, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आवास एवं स्वच्छता संबंधी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के संयोजन में, संविधान के अनुच्छेद 243ख के प्रावधानों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/ कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार राज्य योजनाओं को अनुमोदित करती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, डिज़ाइन, अनुमोदन

और क्रियान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/जिलों को निधियाँ जारी करती हैं।

अमृत: शहरी बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो जल निकासी और सीवरेज व्यवस्था के रख रखाव के लिए उत्तरदायी हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। यह शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अमृत के अंतर्गत, 4,622 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज शोधन क्षमता (नई/संवर्धित) सृजित की गई है, जिसमें से 1,437 एमएलडी क्षमता रीसाइकिल/रीयूज़ के लिए विकसित की गई है। अमृत 2.0 के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाएं 6,964 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता (नई/संवर्धित) को कवर करती हैं, जिसमें से 1,938 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता रीसाइकिल/रीयूज़ उपयोग के लिए है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 सुधारों के तहत "जल ही अमृत" पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा स्थायी आधार पर पर्यावरणीय मानकों को पूरा करते हुए रीसाइकिल योग्य शोधित जल हेतु सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल का फोकस क्षमता निर्माण और शोधित निर्वहन अपशिष्ट जल में गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करना है। इस पहल का लक्ष्य पानी के उचित पुन: उपयोग के अवसर पैदा करना है, जो मिशन के तहत पानी की उपलब्धता बढ़ाकर जल सुरक्षा के समग्र लक्ष्य में योगदान देता है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अमृत के तहत 2,401.38 करोड़ रुपये की 809 वर्षा जल निकासी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अमृत 2.0 के तहत जलाशयों और कुओं का पुनरूद्धार मुख्य घटकों में से एक है। इसके अंतर्गत स्वीकार्य तत्वों में तूफानी वर्षा जल नालियों के द्वारा जलाशयों (जिसमें सीवेज/अपशिष्ट जल नहीं मिला हो) में वर्षा जल संचयन करना शामिल है। अमृत 2.0 के अंतर्गत, 6,210.66 करोड़ रुपये लागत की 3,032 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

एसबीएम-यू: देश में बढ़ती शहरी आबादी के कारण देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मांग में वृद्धि हुई है। शहरी आबादी की स्वच्छता संबंधी माँग को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) की शुरुआत की। इसका उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) और देश के शहरी क्षेत्रों में निकलने वाले नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडबल्यू) का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करना है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) के तहत, संपूर्ण मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 62,009 करोड़ रुपये था, जिसमें 14,623 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता भी शामिल थी। शहरों को सहायता जारी रखने के लिए, 1 अक्टूबर, 2021 को स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 को पाँच वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सुरक्षित स्वच्छता और कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त

करने के साथ-साथ वैज्ञानिक लैंडफिल में इनके सुरक्षित निपटान और पुराने कूड़ास्थलों का सुधार सुनिश्चित करना है। एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत, संपूर्ण मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 1,41,600 करोड़ रूपये है, जिसमें 36,465 करोड़ रूपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है। एसबीएम-यू के अंतर्गत की जाने वाली पहलों का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित शहर की पूरी आबादी को लाभान्वित करना है।

पीएमएवाई-यू: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून 2015 से पीएमएवाई-यू का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के घर उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-यू के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 01 सितंबर 2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य चार घटकों, अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना है। पीएमएवाई-यू के तहत, परियोजनाओं का निरूपण और क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। यह देखा गया है कि कार्यान्वयन एजेंसियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में भार मुक्त भूमि की अनुपलब्धता, लाभार्थियों की अनिच्छा, वैधानिक मंजूरी/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में देरी, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/यूएलबी द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान आदि शामिल हैं। मंत्रालय निर्धारित समय सीमा में शेष आवासों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करता है।

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम): स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जून 2015 में हुई थी और 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर, स्वच्छ और स्थायी वातावरण उपलब्ध कराते हैं तथा जीवन स्तर में सुधार लाने तथा शहरों की ओर लोगों और निवेश को आकर्षित करने के लिए 'स्मार्ट समाधानों' का उपयोग करते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन 31-03-2025 को समाप्त हो चुका है।

*****